संख्या सा-3-957/दस-1998-902/98

प्रेषक

श्री शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग -3 लखनऊः दिनांक 18 जुलाई, 1998

विषयः- दिनांक 1-1-1996 के पूर्व सेवा निवृत्त एवं पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन एवं भत्तों के निर्धारण हेतु ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या सा-3-126/दस-98-902/98 दिनांक 16-3-1998 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर -2 के निम्नलिखित अंश की व्यवस्था जैसी कि नीचे स्तम्भ -1 में दी गयी है के स्थान पर स्तम्भ -2 की व्यवस्था स्थापित समझी जाये ।

स्तम्भ -1	स्तम्भ -2
अतएव दिनांक 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त/पुनर्योजित सरकारी सेवकों का जो वेतन सेवा निवृत्ति की तिथि को था उसमें सेवानिवृत्ति की तिथि को अनुमन्य मंहगाई भत्ता अन्तरिम राहत की प्रथम एवं द्वितीय किश्त तथा वेतन की धनराशि का 40 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर जो धनराशि आयेगी वही उनका अन्तिम वेतन मान लिया जाएगा तथा उक्त धनराशि से दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि घटाकर जो धनराशि शेष आयेगी वह वेतन के रूप में अनुमन्य करा दी जाय। इस प्रकार आगणित वेतन + पेंशन की धनराशि पर दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त लागू नये फार्मूले के आधार पर मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।	अतएव दिनांक 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त/पुनर्योजित सरकारी सेवकों का जो वेतन सेवानिवृत्ति की तिथि को था उसमें दिनांक 31-12-1995 को अनुमन्य मंहगाई भत्ता, अन्तरिम राहत की प्रथम एवं द्वितीय किश्त तथा वेतन की धनराशि का 40 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर जो धनराशि आयेगी वही उनका अन्तिम वेतन मान लिया जाएगा तथा उक्त धनराशि से दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि घटाकर जो धनराशि शेष आयेगी वह वेतन के रूप में अनुमन्य करा दी जाए। इस प्रकार आगणित वेतन + पेंशन की धनराशि पर दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त लागू नए फार्मूले के आधार पर मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे ।

-----2

2- शासनादेश दिनांक 16-3-1998 की शेष व्यवस्थाएं पूर्ववत रहेंगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 16-3-1998 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा ।

भवदीय,

(शिव प्रकाश)
संयुक्त सचिव ।

संख्या सा-3- (1)/ दस-98/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3- विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय ।
4- राज्यपाल सचिवालय ।
5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
7- समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश ।
8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्धन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
संयुक्त सचिव ।